

रीजिस्ट्री सं. जी. (जी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1990/आषाढ़ 8, 1912
No. 364] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1990/ASADHA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 1990

का.क्र. 521 (अ):—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति उपसद्विध और पेंशन (संसोधन)
अधिनियम, 1990 (1990 का 16) को धारा 1 के उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों

1731GI/90

(1)

का प्रयोग करते हुए, 29 जून, 1990 को उस तारीख के रूप में निश्चित करती है जिसकी कल्पित अतिविधायन प्रवृत्त होगा ।

[का. सं. 1/5/90-एम एंड पी]

एम. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 1990

S.O. 521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the President's Emoluments and Pension (Amendment) Act, 1990 (16 of 1990), the Central Government hereby appoints the 29th day of June, 1990 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 1/5/90-M&P]

N. K. SINGH, Jt. Secy.